<u>संख्या-2/2018/13-ई.एम./87-का-4-2018</u>

प्रेषक,

अनिता श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 23 फरवरी, 2018

विषय:-उत्तर प्रदेश सरकार स्टेनोग्राफर्स महासंघ के अधिवेशन दिनांक 15.03.2018 एवं दिनांक 16.03.2018 को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार स्टेनोग्राफर्स महासंघ द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का 02 दिवसीय अधिवेशन दिनांक 15.03.2018 एवं दिनांक 16.03.2018 को सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है। महासंघ के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिवेशन में प्रतिभाग करने वाले प्रतिनिधियों को 02 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार स्टेनोग्राफर्स महासंघ के प्रश्नगत अधिवेशन में प्रतिभाग करने वाले प्रतिनिधियों को दिनांक 15.03.2018 एवं दिनांक 16.03.2018 का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

<u>संख्या-13-ई.एम./87(1)-का-4-2018, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in